

आवेदन पत्र नियम-4

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भू-सतह उपयोग हेतु वन भूमि के लिये राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की धारा-2 अंतर्गत मंजूरी / स्वीकृति लेने का प्रारूप

01	परियोजना का ब्यौरा	
i.	उन प्रस्ताव तथा परियोजना स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिए वन भूमि अपेक्षित है।	कुसमुण्डा ओपनकास्ट परियोजना, एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र, साउथ इस्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड बिलासपुर छ.ग. (भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम) के अंतर्गत कोरबा ज़िले में सन् 1979 से संचालित है। यह परियोजना कोरबा शहर से लगभग 05 कि.मी की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में इस परियोजना की कोयला उत्पादन क्षमता 50 मिलियन टन (नोर्मेटिव) एवं 62.50 मिलियन टन (पीक) प्रति वर्ष है।
ii.	आपेक्षित वन क्षेत्र निकटवर्ती वन की सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत किया जाना है, जो उप वन संरक्षक रैंक से नीचे न हो	प्रस्तावित राजस्व वन भूमि 43.942 हे. क्षेत्र का निकटवर्ती वन की सीमा को दर्शाने वाला 15 कि.मी. परिधि का नक्शा चेक लिस्ट क्रमांक - 33 में संलग्न है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा ऑनलाईन आवेदन के पार्ट-1 बी-2.4 में अपलोड किया गया है।
iii.	परियोजना की कुल लागत	कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार परियोजना (50 मिलियन टन (नोर्मेटिव) एवं 62.50 मिलियन टन (पीक) प्रति वर्ष) की कुल लागत ₹ 7612.33 करोड़ है।
iv.	परियोजना का वन क्षेत्र में लगने का औचित्य तथा इस क्षेत्र के लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जांच की गई उनको देखते हुये और उनको नामंजूर करने का कारण बतायें।	कोयला परियोजना के क्षेत्र का चयन भूगर्भ में कोयले की उपलब्धता पर निर्भर करता है। एसईसीएल कुसमुण्डा विस्तार परियोजना (50 मिलियन टन (नोर्मेटिव) एवं 62.50 मिलियन टन (पीक) प्रति वर्ष) के लिए 10 ग्राम - रिसदी, पड़निया, पाली, जटराज, सोनपुरी, खोडरी, खैरभावना, अमगाँव, चुरैल एवं गोवरा में शासकीय एवं कास्तकारी भूमि भी परियोजना में सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि का प्रत्यावर्तन कोयला उत्खनन के लिए अति आवश्यक है। वन भूमि की मांग न्यूनतम होने तथा वन भूमि अर्जन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने के कारण आवेदित राजस्व वन भूमि का अर्जन करना अति आवश्यक है।
v.	वित्तीय और सामाजिक लाभ	कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार परियोजना (50 मिलियन टन (नोर्मेटिव) एवं 62.50 मिलियन टन (पीक) प्रति वर्ष) के प्रारंभ होने से 2046 अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न

			होगा, लगभग 500 अस्थायी रोजगार उत्पन्न होगा एवं लगभग 16400 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।					
	vi.	कुल लाभान्वित आबादी	16400					
	vii.	श्रृजित रोजगार	4130 (जिसमें से वर्तमान तक 2111 रोजगार दिया जा चुका है।)					
2		परियोजना का सीन						
	i.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	छत्तीसगढ़					
	ii.	जिला	कोरबा					
	iii.	वन मंडल	कटघोरा					
	iv.	कम्पार्टमेंट राजस्व वनभूमि / वनभूमि छोटे-बड़े झाड के जंगल	क्रमांक	ग्राम का नाम	कुसमुण्डा परियोजना कुल रकबा 43.942 हेक्ट. (FP/CG/MIN/41604/2019)			
					खसरा न.	रकबा (एकड़)	रकबा (हेक्ट.)	
			01	पड़निया	532	0.13	0.053	
			02	पाली	204	0.48	0.194	
			03	सोनपुरी	27 / 1	13.74	5.561	
					294	2.22	0.898	
					370 / 1	8.71	3.525	
					431 / 1	2.41	0.975	
					446 / 2	0.14	0.057	
					446 / 3	0.74	0.299	
					447	11.63	4.707	
					491	1.53	0.619	
					519	4.60	1.862	
					574	1.15	0.465	
					587	0.55	0.223	
					591	5.00	2.023	
					631	1.20	0.486	
					636	0.20	0.081	
			04	गेवरा	1182 (P)	39.42	15.953	
					1184	2.88	1.166	
			05	खोडरी	40 (P)	11.85	4.796	
				योग	19	108.58	43.942 हे.	

3		मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा -	कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार परियोजना (50 मिलियन टन (नोर्मेटिव) एवं 62.50 मिलियन टन (पीक) प्रति वर्ष)का :- मौजूदा भूमि उपयोग का मदवार ब्यौरा :- शासकीय भूमि - 404.267 हे. कास्तकारी भूमि - 1021.725 हे. राजस्व वन भूमि - 205.961 हे. कुल भूमि - 1631.953 हे. वर्तमान प्रस्ताव में आवेदित भूमि का मदवार ब्यौरा :- शासकीय भूमि - 227.453 हे. कास्तकारी भूमि - 1088.595 हे. राजस्व वन भूमि - 43.942 हे. कुल भूमि - 1359.990 हे.
4		शामिल वन भूमि का ब्यौरा	
	i.	वन का वैधानिक स्थित नाम आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत।	राजस्व वन भूमि
	ii.	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जाति और प्रजाति का ब्यौरा	चेक लिस्ट क्रमांक - 12 में संलग्न है।
	iii.	वनस्पति की सघनता।	0-0.4
	iv.	वृक्षों की प्रजातियों तथा व्यास श्रेणीवार सार।	चेक लिस्ट क्रमांक - 12 में संलग्न है।
	v.	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व, क्या यह गम्भीर रूप से क्षेत्र का हिस्सा है या नहीं।	नहीं है।
	vi.	क्या यह राष्ट्रीय वन उद्यान, वनजीव अभ्यारण्य, प्रकोष्ठ आरक्षित, प्रकोष्ठ आरक्षित जीव मंडल रिजर्व आदि का एक हिस्सा है, यदि हां तो उसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दे	कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार परियोजना में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है।
	vii.	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना के लिए संरक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा।	कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार परियोजना में कोई संरक्षित वनभूमि नहीं है।
	viii.	क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ संकटापन जातियाँ व प्राणी जगत की प्रजातियाँ।	कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार परियोजना में कोई दुर्लभ संकटापन जातियाँ व प्राणी जगत की प्रजातियाँ का दृष्टि गोचर नहीं हुआ है।

	ix.	क्या प्रवासी जंतुओं के लिए एक पार्क स्थल है या उसके लिए प्रभाग भूमि भाग है।	नहीं।
	x.	प्रस्ताव में दर्शित क्षेत्र का कोई अन्य महत्व ।	नहीं।
5		परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा।	
	i.	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	8200 कुल विस्थापित होने वाले परिवारों में से 1488 परिवार विस्थापित हो चुके हैं। अन्य 6712 परिवार और विस्थापित होने हैं।
	ii.	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की संख्या	SC परिवार – 478 ST परिवार – 3100 अन्य परिवार – 3134
	iii.	विस्तृत पुनर्वास योजना	चेक लिस्ट क्रमांक – 25 में संलग्न है।
6		क्षतिपूरक पुनर्वास योजना	
	i.	क्षतिपूरक वन रोपण के लिए शिनाख्त किए गये गैर वन क्षेत्र अभिनित वन क्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या ,प्रत्येक हिस्से का आकार।	क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण के लिए आवेदित क्षेत्र से दो गुना क्षेत्र यानी 87.884 हे. क्षेत्र में नियमानुसार वृक्षारोपण प्रस्तावित है।
	ii.	क्षतिपूरक वन रोपण के लिए शिनाख्त गैर वन/ अतिक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र।	चेक लिस्ट क्रमांक – 16 में संलग्न है।
	iii.	रोपण की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन एजेंसी समय सूची लागत ढाँचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वन रोपण	चेक लिस्ट क्रमांक – 16 में संलग्न है।
	iv.	क्षतिपूरक वन रोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	चेक लिस्ट क्रमांक – 16 में संलग्न है।
	v.	वन रोपण के लिए क्षतिपूरक वन रोपण हेतु शिनाख्त किये गये क्षेत्र की उपयोगिता के बारे में और प्रबंध की दृष्टी से सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र	चेक लिस्ट क्रमांक – 17 में संलग्न है।
	vi.	क्षतिपूरक वन रोपण के लिए वनेत्तर भूमि ना होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।
7		परिपत्र लाईन के बारे में ब्यौरा (केवल परिक्षण लाईन के लिए)	लागू नहीं है।

8		सिंचाई/ जल विद्युत परियोजना हेतु -(केवल सिंचाई/ जल विद्युत परियोजना प्रस्ताव के लिए)	लागू नहीं है।
9		सडक/ जल लाईन के बारे में ब्यौरा -(केवल रेल एवं रोड प्रस्तावों के लिए)	लागू नहीं है।
10		खनन प्रस्ताव के बारे में (केवल खनन प्रस्ताव हेतु)	
	1	कुल खनि पट्टा क्षेत्र और आपेक्षित वन क्षेत्र	कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार परियोजना (50 मिलियन टन (नोर्मेटिव) एवं 62.50 मिलियन टन (पीक) प्रति वर्ष) का :- मौजूदा भूमि उपयोग का मदवार ब्यौरा :- शासकीय भूमि - 404.267 हे. कास्तकारी भूमि - 1021.725 हे. राजस्व वन भूमि - 205.961 हे. कुल भूमि - 1631.953 हे. वर्तमान प्रस्ताव में आवेदित भूमि का मदवार ब्यौरा :- शासकीय भूमि - 227.453 हे. कास्तकारी भूमि - 1088.595 हे. राजस्व वन भूमि - 43.942 हे. कुल भूमि - 1359.990 हे.
	2	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि	15 वर्ष (दिनांक 01.04.2022 से)
	3	वन क्षेत्र और गैर वन क्षेत्र में प्रत्येक खनिज कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार	कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार परियोजना (50 मिलियन टन (नोर्मेटिव) एवं 62.50 मिलियन टन (पीक) प्रति वर्ष) का दिनांक 31.03.2022 की तिथि में कोयले का अनुमानित भण्डार 713.236 मिलियन टन था जिसमें से प्रस्तावित वन क्षेत्र में लगभग 29.53 मिलियन टन कोयले का अनुमानित भण्डार है।
	4	खनिज / कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन	वर्तमान में कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार परियोजना की कोयला उत्पादन क्षमता 50 मिलियन टन (नोर्मेटिव) एवं 62.50 मिलियन टन (पीक) प्रति वर्ष है। वर्ष 2021-22 में ईस परियोजना ने कुल 28.90 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया था।
	5	खनन कार्य का किस्म, खुली खदान/भूमिगत	खुली खदान।
	6	चरणबद्ध सुधार योजना	लागू किया जा रहा है।
	7	किस क्षेत्र में खनन कार्य किया जाएगा उसका प्लान	कुल 43.942 हे. राजस्व वन भूमि क्षेत्र में लगभग 21.439 हे. क्षेत्र में खनन कार्य किया जाएगा।

8	पट्टा संलग्न की प्रति संलग्न किया जाये केवल नवीनीकरण हेतु	चेक लिस्ट क्रमांक - 14 में संलग्न है।
9	नियुक्ति किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या	4130 (जिसमें से वर्तमान तक 2111 की नियुक्ति की जा चुकी है।)
10	निम्नलिखित के लिए अपेक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल	43.942 हे. राजस्व वन भूमि
क	खनन	21.439 हे.
ख	खनन कच्चे धातु भण्डार	29.53 मिलियन टन कोयला
ग	अधिभार का जमा कराना	लागू नहीं है।
घ	औजारों और मशीनों का भण्डार	लागू नहीं है।
ङ	भवनों बिजली घरों कार्यशालों आदि का निर्माण	लागू नहीं है।
च	शहर / आवास कोलोनीयों निर्माण	लागू नहीं है।
छ	सड़क/राजमार्ग/रेलवे का निर्माण	लागू नहीं है।
ज	आपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि का सदुपयोग योजना	22.503 हे. क्षेत्र अन्य उपयोगों जैसे सेफटी ज़ोन, वृक्षारोपण, आदि के लिए उपयोग किया जाएगा।
11	परियोजना के संपूर्ण ऊपर क से ज तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिए वन भूमि मांग की गयी है उनकी वन क्षेत्र के बाहर शुरू सिमित व पिक जाने के क्या कारण है	कोयला परियोजना के क्षेत्र का चयन भूगर्भ में कोयले की उपलब्धता पर निर्भर करता है। एसईसीएल कुसमुण्डा विस्तार परियोजना (50 मिलियन टन (नोर्मेटिव) एवं 62.50 मिलियन टन (पीक) प्रति वर्ष) के लिए 10 ग्राम - रिसदी, पड़निया, पाली, जटराज, सोनपुरी, खोडरी, खैरभावना, अमगोव, चुरैल एवं गेवरा में शासकीय एवं कास्तकारी भूमि भी परियोजना में सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि का प्रत्यावर्तन कोयला उत्खनन के लिए अति आवश्यक है। वन भूमि की मांग न्यूनतम होने तथा वन भूमि व्यपवर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने के कारण आवेदित राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन करना अति आवश्यक है।
12	खनन और संबंधित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होनी वाली सम्मिलित क्षति और प्रमाणित होने वाले वृक्षों की संख्या	खनन और संबंधित गतिविधियों के लिए मांग की गई वन भूमि राजस्व वन भूमि है एवं मौके पर स्थित वनस्पति की सघनता 0.4 से भी कम है। प्रस्तावित भूमि लगभग 1449 वृक्ष मौजूद है। उपरोक्त भूमि व्यपवर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने के कारण आवेदित राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन करना अति आवश्यक है।

	13	बरहमासी नदियों मार्गों राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण और जीव मंडल से रिजर्वों से खनन क्षेत्र की दूरी	परियोजना के उत्तरी भाग में अहिरन नदी एवं पूर्वी भाग में हसदेव नदी प्रवाहित है। परियोजना के समीप 15.00 कि. मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण और जीव मंडल का कोई भाग नहीं है। नक्शा चेक लिस्ट क्रमांक - 33 में संलग्न है।
	14	पुनः प्रयोग के लिए उपरी मृदा के भंडारण की प्रक्रिया	भंडारण किया जाता है।
	15	भूमि का खनन कार्यों में अपेक्षित अवतल की मात्रा और जल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव	खनन की अपेक्षित गहराई समतल से 300 मीटर तक नियोजित है। खनन कार्य का अपेक्षित अवतल की मात्रा और जल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर प्रभाव न्यूनतम है।
	11	लागत लाभ विश्लेषण	चेक लिस्ट क्रमांक - 13 में संलग्न है।
	12	क्या पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित है हां / नहीं यदि हां तो क्या उसके लिए अपेक्षित ब्योरा प्रस्तुत कर दिए गए हैं हां / नहीं	एसईसीएल कुसमुण्डा विस्तार परियोजना (50 मिलियन टन (नोर्मेटिव) एवं 62.50 मिलियन टन (पीक) प्रति वर्ष) को पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार द्वारा पत्र क्र. J-11015/176/2014-IA-II(M) दिनांक 10.01.2020 को प्राप्त हुई है। प्रतिलिपी चेक लिस्ट क्रमांक - 11 में संलग्न है।
	13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया गया है हां/नहीं यदि हां तो	नहीं।
	1	शुरू होने के तारीख सहित उसके ब्यौरे	निरंक।
	2	अधिकारी के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारी	निरंक।
	3	गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ की गयी/जा रही कार्यवाही।	निरंक।
	4	क्या अभी भी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है	निरंक।
	14	कोई अन्य सूचना	निरंक।
	15	संलग्न किये गए प्रमाण पत्रों दस्तावेजों का ब्योरा	ब्योरा सूची संलग्न है।
	16	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात्-	
	1	इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पादन	चेकलिस्ट -12 में संलग्न है।
	2	क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति पर आत्मनिर्भर है	नहीं है।

3	परियोजना के कारण निम्न व्यवस्थाओं पर असर	
(a)	ग्रामीण आबादी के लिए जलाने की लकड़ी की अर्थव्यवस्था और जीविका पर	ग्रामीण आबादी के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में विकल्प मौजूद है।
(b)	आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका पर	आदिवासियों और पिछड़े समुदायों को परियोजना से रोजगार, मुआवज़ा, पुनर्वास आदी के रूप में लाभ मिलेगा।
4	कारण सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिए मुख्य वन संरक्षक / वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिश	अनुशंसा की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त उद्देश्य के लिए सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित उद्देश्य के लिए वनभूमि की मांग न्यूनतम है।


वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वन मण्डल, कटघोरा


महाप्रबंधक
 जे.एस.ई.सी.एल कुसमुण्डा क्षेत्र

संलग्न किये गए प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का ब्योरा

क्र.	संलग्न किये गए दस्तावेजों की सूची	पृष्ठ. क.
01	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशी जमा करने का वचन पत्र	92
02	परियोजना का वनक्षेत्र में लगने का औचित्य हेतु प्रमाण पत्र	93
03	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र	94-109
04	अधिनियम उल्लंघन न करने का वचन पत्र	359
05	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनउपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र	362-367
06	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसंधान और/या दण्ड स्वरूप वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत एवं क्षेत्र में वनीकरण की वचनबद्धता।	549
07	वनभूमि के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र	93
08	ऐतिहासिक स्थल न होने संबंधित प्रमाण पत्र	626
09	ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र	627-675
10	वन अधिकार मान्यता पत्र एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने हेतु वचन पत्र	692-694
11	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र जमा करने हेतु वचन पत्र	695-701
12	मननीय अच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र	703
13	द्वितीय चरण स्वीकृति से पहले प्रेषित राशि कैम्पा में जमा करने का वचन पत्र	705
14	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र	740
15	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत लेने हेतु वचन पत्र	747
16	शासन द्वारा निर्धारित प्रतिरोपण शर्तों का पालन करने का वचन पत्र	749